

भारत सरकार (Government of India)
रेल मंत्रालय (Ministry of Railways)
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

टी.सी.-I/2023/304/efile/2 (3435175)

नई दिल्ली, दिनांक 13.02.2024

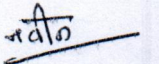
श्री मनोरंजन कुमार
राष्ट्रीय प्रभारी, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ,
श्रमिक संघ भवन, डी. - 86, सहयोग विहार,
द्वारका से.-3, नई दिल्ली-59

कृपया, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड जी को संबोधित, अपने पत्र दिनांक 07.02.2024 का अवलोकन करें, जो माल गोदाम के परिसर में शिविर लगाकर ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के पंजीकरण करने के संबंध में है।

यह उल्लेखनीय है कि माल गोदामों में वैगनों की लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य, रेलवे द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि यह कार्य फ्रेट ग्राहक (परेषक/परेषति) द्वारा करवाया जाता है। इस संबंध में, रेलवे किसी भी यूनियन को मान्यता नहीं देता है।

रेलवे माल गोदामों में माल यातायात से संबंधित गतिविधियां की जाती हैं। अतः माल गोदाम के परिसर में शिविर लगाकर ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के पंजीकरण करने अथवा किसी अन्य गतिविधि को अनुमति दिया जाना संभव नहीं है।

भवदीय,



(नवीन कुमार परसुरामका)

कार्यकारी निदेशक यातायात वाणिज्य (दर)

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपी :

प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक

सभी जोनल रेलवे

OK
Please issue
13/02/2024

